**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2966**
**दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**नो मनी फॉर टेरर (एनएमएफटी) सम्मेलन**

**†2966. श्री जगदम्बिका पालः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर (एनएमएफटी) सम्मेलन में भारत के प्रमुख योगदानों और हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) सरकार द्वारा विशेषकर डिजिटल वित्तीय चैनलों के कारण बढ़ती जटिलताओं के आलोक में सीमा पार से आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;**

**(ग) आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रयोग की जा रही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा किन विनियामक और प्रौधोगिकीय उपायों पर विचार किया गया हैं;**

**(घ) एनएमएफटी सम्मेलनों में भारत की भागीदारी ने आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से निपटने संबंधी घरेलू नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया हैं; और**

**(ङ) क्या म्यूनिख सम्मेलन के बाद कोई नीतिगत परिवर्तन विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): चौथे एनएमएफटी सम्मेलन के दौरान भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देशों के बीच एकता जरूरी है और भारत इस लड़ाई में वैश्विक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है।

भारत ने इस बात पर चिंता जताई कि आतंकवाद के वित्तपोषण में धन प्रवाह में सीमा पार संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण; आतंकवादियों द्वारा परिसंपत्तियों के प्रवाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत, तरीके और चैनल तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं।

**लोक सभा अता. प्र.स. 2966 दिनांक 18.03.2025**

आतंकी वितपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने वास्तविक समय के आधार पर सूचना एकत्र करने, इसका मिलान करने और इसके प्रसार हेतु आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 (यूएपीए) और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, में संशोधन करके विधिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया गया है, तथा एनआईए में आतंकी वितपोषण और जाली करेंसी सेल (TFFC Cell) के अतिरिक्त साइबर आतंकवाद, विस्फोटक और निषिद्ध हथियारों और मानव तस्करी से संबंधित तीन नए वर्टिकल की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त देश में जाली मुद्राओं के प्रचलन को रोकने के लिए केंद्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया इनपुट एंव सूचना साझा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक एफआईसीएन समन्वय केंद्र (FCORD) का गठन किया गया है।

(ग) और (घ): वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नियामक पहलुओं की देखभाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है।

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005, निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई- भारत (एफआईयू-आईएनडी) को संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करने के लिए संबंधित नियामक के परामर्श से दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तदनुसार, संदिग्ध लेनदेन का प्रभावी पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।

एफआईयू-आईएनडी द्वारा वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन के सिद्धांतों के साथ समय-समय पर अलर्ट जनरेट करने के लिए लाल झंडा संकेतक जारी किए जा रहे हैं।

संपत्ति की जब्ती, कुर्की और अधिग्रहण से संबंधित यूएपीए और एनआईए अधिनियम, 2019 में संशोधन द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण के प्रतिवाद को और मजबूती प्रदान की गई है ।

रिपोर्टिंग संस्थाओं (आरई) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ लक्षित और निरंतर जुड़ाव को अपनाने के लिए, एफआईयू-आईएनडी ने आतंकवाद के वित्तपोषण की पहचान पर एक स्थायी कार्य समूह के गठन की पहल की है। इसमें मौजूदा रिपोर्टिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि, एल.ई.ए के डोमेन विशेषज्ञ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेषज्ञ, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विशेषज्ञ, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म विशेषज्ञ आदि जैसे विविध हितधारक शामिल हैं।

**लोक सभा अता. प्र.स. 2966 दिनांक 18.03.2025**

राजस्व विभाग ने, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी ) से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और टेरर फाइनेंसिंग (टीएफ) जोखिमों को संबोधित करने के लिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को पीएमएलए 2002 के दायरे में शामिल किया है।

वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम 2002 और पीएमएल नियम 2005 के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं (आरई) पर लगाए गए धन शोधन निरोधक/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने /प्रसार करने (एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ) जैसे दायित्वों को पूरा करने का अधिकार दिया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों का आवधिक जोखिम मूल्यांकन, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी), संवर्धित उचित परिश्रम (ईडीडी), प्रतिबंधों की जांच, लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है।

भारत 2018 से एनएमएफटी सम्मेलनों में भाग ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के मुद्दों पर हमारी समझ में काफी सुधार हुआ है। एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से खुफिया जानकारी जुटाने में सुधार हुआ है, जिससे कानून प्रवर्तन प्रयासों को बल मिला है तथा नियामकों और पर्यवेक्षकों द्वारा लक्षित निवारक उपाय किए जा सके हैं।

(ड.): ऐसी कोई नीति परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

********